

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  श्री ईश्वरसिंह चौहान पुत्र बहादुरसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- सेला,  तहसील- बाली, जिला पाली (राज.)  बनाम  लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बाली  प्रथम सूचना अपील संख्या :- 92/2024  जीसीएमएस नं. :- 2024/182  (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख  अहकाम जो इस  हुक्म की तामील में  जारी हुए</p>
<p>18.11.2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. पत्रावली आज पेश हुई ।</li> <li>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 13.05.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बाली से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।</li> <li>3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./2005/2024/578 दिनांक 30.10.2024 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके द्वारा जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./2024/577 दिनांक 28.10.2024 उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।</li> <li>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर निवेदन किया की पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई मौका जांच रिपोर्ट विरोधाभाषी व अपूर्ण है।</li> <li>5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र में वर्णित वांछित सूचना संख्या 01 काफी ढूढ़ने के बाद भी इस कार्यालय में नहीं मिली है व वांछित सूचना संख्या 02 अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बाली द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना के विपरीत अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति जाहिर की।</li> <li>6. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, बाली को निर्देशित किया जाता है कि एक बार पुनः एक कमेटी का गठन किया जाकर वांछित सूचना कार्यालय में ढूढ़कर अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 30 दिवस में निस्तारण कर।</li> <li>7. निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैंसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</li> </ol> <p style="text-align: center;">↓  (एल.एन. मंत्री)  प्रथम अपीलीय अधिकारी  लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p>	